234

R 1327 III/17

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- /२०१७- निगरानी

श्री आ० कु० भदौरिया अभिभाषक द्वारा आज दि. 8-5-17 को प्रस्तुत
8-5-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१- मुकेश सिंह | पुत्रगण केशव सिंह
२- रामन्त सिंह |
निवासीगण- ग्राम खोयला, तेहसील पोरसा, जिला मुरैना-मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थीगण

विरुध्द

नीतू सिंह पत्नी छोटे सिंह निवासिन ग्राम- जौटई, तेहसील पोरसा जिला मुरैना-मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थिया

निगरानी विरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय, पोरसा दिनांकी ६-५-२०१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २०/१६-१७ -अ-६ मौजा जौटई ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिप्रार्थी नीतू सिंह ने विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने की प्रार्थना की है । विक्रय पत्र में अंकित भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में पूर्व में ही विक्रेता के पक्ष में हुआ नामान्तरण वर्तमान में अपील में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में स्वत्व के सम्बन्ध में अंतिम विनिश्चय न होने से वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये । प्रार्थीगण की इस आपत्ति का निराकरण किये बिना ही प्रकरण अंतिम आदेश हेतु सुरक्षित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

क्रमश:---२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1327-दो/17 **जिला - मुरैना**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	